[redacted]

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0174 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/08/2024 18:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शनिवार **Date From (दिनांक से):** 17/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 17/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:48 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/08/2024 **Time (समय):** 14:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/08/2024 18:02:44 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 225 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE STATION BANERA, DISTRICT SHAHPURA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MOHABBAT ALI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** TAJ KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 15/10/1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHEEMPURA, BANERA, शाहपुरा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHEEMPURA, BANERA, शाहपुरा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MADAN LAL		पिता:LADUDAS	1. PANDER,शाहपुरा,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

[redacted]

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा द्वितीय विषय- भ्रष्ट रिश्वत खोर एएसआई को रिश्वत लेते हुए को पकडवाने के बाबत। महोदय जी, उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मेरे पुत्र परवेज खां निवासी भीमपुरा के नाम ट्रेक्टर स्वराज 735 XT RJ 51 Rb 1634 है, उक्त ट्रेक्टर से दिनांक 04.06.2024 को बनेडा से भीमपुरा जाते समय बनेडा के पास मंडोवरा तालाब की पाल की पास एक्सीडेन्ट हो गया जिससे दो व्यक्तियो की मृत्यु हो गई उसी दिन ट्रेक्टर को ड्राईवर भंवर खा निवासी बेसकलाई ने थाना बनेडा मे छोड दिया था, उक्त एक्सीडेन्ट का पुलिस थाना बनेडा मे मुकदमा 99/2024 दिनांक 04.06.2024 धारा 279,337,304 ए दर्ज हुआ, जिसकी तफ्तीश थाना बनेडा के ASI मदनलाल जी कर रहे है मेरा बच्चा परवेज खान ट्रैलर ड्राईवर होने से बाहर रहता है ट्रैक्टर के सचालन व मन्टीनेष व अन्य कार्य की देखरेख मे ही करता हूॅ, जिसकी मेरे को मेरे बच्चे ने पांवर आंफ एटनी दे रखी है मैं ट्रेक्टर छुडाने की प्रक्रिया के लिये ट्रैक्टर के दस्तावेज लेकर कल दिनांक 16.08.2024 को मेरा बच्चा परवेज व ड्राईवर भंवर खां के साथ थाना बनेडा मे जाकर । ASI मदनलाल जी से मिला, एएसआई साहब ने मेर बच्चे को 133 का नेटिस देकर कार्यवाही कर लिखा पढी की एवं ड्राईवर भंवर खां की पुलिस जमानत ले ली थी, एएसआई मदनलाल ने ट्रैक्टर छुडाने के लिए फाईल कोर्ट मे भेजने के बदले 15000 रूपये रिश्वत की मांग की 2000 रूपये कल मेरे से ले लिए 13000 रू की और मांग कर रहे है, मैं एएसआई मदनलाल को रिश्वत नही देना चाहता हूॅ रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूॅ, मेरे व एएसआई के बीच उधार लेन देन नही है, व ना ही किसी तरह की रंजिष है, कानूनी कार्यवाही करावे, एफआईआर पांवर आंफ एटोनी व ट्रैक्टर के कांगजात के फोटो प्रति पेश है, मैने मेरे पुत्र से इस कार्यवाही की सहमति ले ली है। दिनांक- 17.08.2024 एसडी मोहब्बत अली खां पिता ताज खां निवासी भीमपुरा . कार्यवाही पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा-द्वितीय दिनांक 17.08.2024 समय 10.00 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-द्वितीय के समक्ष परिवादी श्री मोहब्बत अली पुत्र श्री तांज खां निवासी भीमपुरा थाना बनेडा जिला शाहपुरा ने आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वयं हस्तलिखित एक प्रार्थना प्रस्तुत किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी को सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी मोहब्बत अली से दरियाप्त की गई तो परिवादी ने बताया कि दिनांक 04.06.2024 को मेरे पुत्र परवेज के नाम ट्रैक्टर संख्या आर.जे. 51 आर.बी. 1634 जिसका बनेडा से भीमपुरा जाते वक्त मन्डोवरा तालाब की पाल बनेडा पर एक्सीडेन्ट हो जाने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। जिस पर पुलिस थाना बनेडा द्वारा प्रकरण संख्या 99/24 दिनांक 04.06.2024 धारा 279,337,304 ए भां.द.स. मे दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान श्री मदनलाल जी एएसआई साहब द्वारा किया जा रहा है। मैं ट्रैक्टर की छुडाने की कार्यवाही हेतु कल दिनांक 16.08.2024 को मेरे पुत्र परवेज खां व ड्राईवर श्री भंवर खां के साथ थाना बनेडा में जाकर श्री मदनलाल जी से मिला तो एएसआई साहब ने मेरे से ट्रैक्टर से संबधित कागजात लेकर मेरे पुत्र को 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस देकर कार्यवाही की व ड्राईवर भंवर खां की पुलिस जमानत ली गई। श्री मदनलाल जी ने ट्रैक्टर छुडवाने के लिए फाईल को न्यायालय मे भेजने के लिए 15000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जिस पर एएसआई साहब ने मेरे से 2000 रूपये कल ही ले लिये थे और बाकि के 13000 रूपये की औ०र मांग कर रहे है। मैं एएसआई साहब को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूॅ, उनको मैं रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूॅ। परिवादी ने दरियाप्त पर बताया की मेरे व एएसआई साहब के मध्य कोई उधार को लेन देन बकाया है ना हि कोई आपसी रंजिश है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत आना प्रथम दृष्टिया दृष्टि गोचर होता है। समय 10.35 ए.एम पर कार्यालय के मालखाना में से श्री मधुसुदन सहायक उप निरीक्षक चौकी द्वितीय से डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय खाली नया मेमोरी कार्ड मंगवाया/निकलवाया जाकर परिवादी को वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई। श्री प्रेमराज कानि. 225 को बुलाकर परिवादी से आपस मे परिचय करवाया गया। परिवादी व कानि प्रेमराज के मोबाईल नंबरो का आदान प्रदान करवाया गया। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया कि एएसआई साहब से आज ही रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर कानि प्रेमराज कानि 225 को डिजीटल वॉयस रिकोर्डर मय खाली नया मेमोरी कार्ड सिपूर्द

कर परिवादी श्री मोहब्बत अली के हमरा परिवादी के प्राईवेट वाहन कार से समय 10.50 ए.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु रवाना बनेडा किया गया। समय 12.10 पी.एम पर श्री प्रेमराज कानि ने जरिये दूरभाष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी व आरोपी श्री मदन लाल एएसआई के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता हो चुकी है। जिसको परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकोर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड कर ली है। कानि ने बताया कि आरोपी रिश्वत राशि आज ही ग्रहण करेगा। जिस पर कानि प्रेमराज को निर्देशित किया कि परिवादी से रिश्वत मे दी जानी वाली राशि की व्यवस्था करवा कर कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत की गई। समय 12.50 पी.एम पर प्रेमराज कानि मय परिवादी के कार्यालय मे उपस्थित आया। प्रेमराज कानि ने सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय से मैं और परिवादी श्री मोहब्बत अली रवाना होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनेडा पहुँचे। वाहन कार को साईड मे खडा किया। मैने परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर परिवादी को सिपूर्द कर पुलिस थाना बनेडा के लिए पैदल रवाना किया। मै थाने के बाहर सुरक्षित स्थान पर मुकिम रहा। परिवादी थोड़ी देर बाद वापस आया जिसने मुझे चालू डिजिटल वाईस रिकार्डर प्रस्तुत किया जिसको लेकर मैने बन्द किया। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरी वार्ता पुलिस थाने में श्री मदन लाल सहायक उप निरीक्षक से हुई जिन्होने टेक्टर की पत्रावली को न्यायालय में समय पर भिजवाने के लिये मेरे से रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक द्वारा पुछने पर परिवादी ने बताया कि मैं थाने के बाहर से श्री प्रेमराज कानिस्टबल ने डिजिटल वाईस रिकार्ड चालू कर मुझे सुपुर्द किया मै थाने के अंदर गया तो थाना परिसर मे बने स्वागत कक्ष मे बैठे एएसआई साहब मदनलाल के पास जाकर मैने अपने कार्य से संबधित वार्तालाप की, थोडी देर मे वार्तालाप करते हुए स्वागत कक्ष से बाहर थाना परिसर मे आये, जहां पर एएसआई साहब ने मेरे से रिश्वत राशि की मांग की तो मैने कहां कि मैंने 2000 रूपये आपको पहले दे दिये अभी मेरे पास 3000 रूपये है, वो आपको दे देता हूँ। मैंने 3000 रूपये रिश्वत राशि के उनको दे दिये, तथा दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की। श्री मदन लाल ने रिश्वत राशि 10000 रूपये आज ही लेकर मुझे पुलिस थाना बनेड़ा पर बुलाया है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये अनुसार एवं मजमून रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया, रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। समय 01.30 पी.एम पर आज ही टेªप कार्यवाही प्रस्तावित होने से टेªप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान आयुक्त, नगर परिषद भीलवाडा के नाम तहरीर लिखकर दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु श्री गोपाल जोशी, सहायक उपनिरीक्षक को रवाना किया गया। समय 01.35 पी.एम पर जरिये दुरभाष तलविदा श्री रामपाल सहायक उपनिरीक्षक व श्री नेमीचंद सउनि भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम से कार्यवाही ईमदाद हेतु उपस्थित कार्यालय आये। समय 01.50 पी.एम पर श्री गोपाल जोशी सहायक उपनिरीक्षक नगर परिषद भीलवाडा मय दो स्वतन्त्र गवाह श्री प्रीतम कुमार हाल कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद भीलवाडा एवं श्री मधुसुदन माथुर कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद भीलवाडा उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री मोहब्बत अली से आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.08.2024 के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालुकर सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड श्री मधुसुदन स.उ.नि. से सुरक्षित मालखाना रखा गया। समय 02.20 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुद्वा परिवादी श्री मोहब्बत अली पुत्र श्री ताज खां निवासी भीमपुरा थाना बनेडा जिला शाहपुरा को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री मोहब्बत अली ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपये प्रस्तुत किये, नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया, तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री मधुसुदन, सहायक उप निरीक्षक से निकलवाई जाकर उपरोक्त नोटों को सफेद कागज पर रखवाकर नोटो के दोनों ओर श्री मधुसुदन, सहायक उप निरीक्षक से फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मोहब्बत अली की जामा तलाशी गवाह श्री मधुसुदन माथुर कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री मधुसुदन सउनि से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात श्री रामेश्वर लाल कानि. 250 से एक साफ प्लास्टीक के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरियान को दिखाया गया तो हाजरियान ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री मधुसुदन सउनि की अंगुलियों अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हाजरियान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मधुसुदन सउनि से कार्यालय से बाहर

फिंकवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री मधुसुदन सउनि से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये सफेद कागज को जलाकर नष्ट करवाया गया। प्लास्टीक के गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करें या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत राशि देने बाबत निर्धारित ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री रामेश्वर लाल कानि. 250 से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.45 पी.एम पर प्रेमराज कानि को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड सिपूर्द कर परिवादी श्री मोहब्बत अली, प्रेमराज कानि, श्री रामेश्वर लाल कानि को परिवादी के वाहन से तथा सरकारी नया मेमारी कार्ड 32 जीबी का मालखाना से निकलवाकर श्री शिवराज कानि को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने तथा कार्यालय में सरकारी विडियो केमरा नही होने के कारण जरिये मोबाईल पेश शुदा मेमोरी कार्ड में विडियोग्राफी कर पेश करने की हिदायत की गई। श्री नेमीचंद सउनि, श्री शिवराज सिंह कानि, श्री मधुसूदन माथुर मय लेपटॉप प्रिन्टर, टेªप बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के सरकारी वाहन बोलेरो से बनेडा की तरफ रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह मय ट्रैप पार्टी सदस्य श्री रामपाल स.उ.नि, श्री गोपाल जोशी स.उ.नि. व गवाह श्री प्रीतम कुमार के मय श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक के प्राईवेट वाहन अल्टो कार के वास्ते टेªप कार्यवाही हेतु बनेडा की ओर रवाना हुआ। समय 03.25 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनेडा के पास पहुचा। वाहनो को साईड मे सुरक्षित खडा किया गया। कानि प्रेमराज से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालुकर लेन देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को सिपूर्द कर पैदल-पैदल पुलिस थाना बनेडा रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान पुलिस थाना बनेडा के पास सुरक्षित स्थान पर परिवादी के ईशारे /मोबाईल कॉल के इन्तजार मे मुकिम रहे। परिवादी श्री मोहब्बत अली पुत्र श्री ताज खां निवासी भीमपुरा थाना बनेडा जिला शाहपुरा ने समय 03.48 पी.एम. पर पुलिस थाने के अन्दर से परिवादी श्री मोहब्बत अली ने अपने मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नंबर पर रिश्वत राशि देने के पश्चात कॉल कर निर्धारित सांकेतिक वार्ता बतौर ईशारे के रूप मे किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाह मय ट्रैप पार्टी के सदस्य श्री गोपाल जोशी स.उ.नि. श्री रामपाल स.उ.नि. श्री नेमीचंद स.उ.नि. श्री प्रेमराज कानि, श्री रामेश्वर लाल कानि, श्री शिवराज सिंह कानि मय प्राईवेट वाहन सरकारी बोलेरो मय ट्रैप बाक्स के पुलिस थाना बनेडा के अन्दर प्रवेश किया तो थाना परिसर मे स्थित स्वागत कक्ष मे परिवादी बैठा हुआ नजर आया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के स्वागत कक्ष मे प्रवेश किया तो वहां पर परिवादी बैठा मिला, परिवादी के पास पुलिस की वर्दी पहने हुए, वर्दी पर एक स्टार लगा हुआ नेम प्लेट पर मदन वैणव लिखा हुआ, व्यक्ति बैठा हुआ कार्य करता हुआ नजर आया तथा उसके पास पुलिस की वर्दी पहने हुए कानिस्टेबल कम्प्युटर पर कार्य करता हुआ पाया। परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालु हालात मे प्रस्तुत किया जिसको लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बंद कर अपने पास रखा, इसके पश्चात परिवादी ने पास ही बैठे वर्दीधारी व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यह श्री मदनलाल एएसआई है, जिन्होने मेरे से अभी-अभी 10,000 रूपये की मांग कर अपने दांहिने हाथ मे लेकर वर्दी की शर्ट की उपर दांहिनी जेब मे रखे है। इस पर वर्दी पर एक स्टार लगे व्यक्ति का बायां हाथ मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा व दाहिना हाथ श्री गोपाल जोशी स. उ.नि. ने पोंचों से उपर पकडा। तत्पश्चात बीएनएसएस में अंकित प्रावधानो के अनुसार श्री शिवराज सिंह कानि से जरिये मोबाईल विडियोग्राफी करना प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त वर्दी धारी व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो अपना नाम मदनलाल पुत्र श्री लादुदास वैष्णव उम्र 52 साल निवासी पण्डेर पुलिस थाना पण्डेर जिला-शाहपुरा हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना-बनेडा जिला-शाहपुरा होना बताया। पास ही बैठे अन्य व्यक्ति जो पुलिस की वर्दी पहने हुए था जिसने अपना नाम रामावतार चौधरी कानि 510 पुलिस थाना बनेडा जिला शाहपुरा होना बताया। जिस पर श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक को परिवादी और ईशारा कर पूछा कि आपने अभी अभी परिवादी श्री मोहब्बत अली से पुलिस थाना बनेडा पर दर्ज प्रकरण संख्या 99/24 धारा 279,337,304 ए भा.द.स. में पत्रावली में त्वरित अनुसंधान कर प्रकरण मे जप्त शुदा ट्रैक्टर को न्यायालय से छुडवाने हेतु पत्रावली न्यायालय मे समय पर भिजवाने व प्रकरण का चालान शीघ्र न्यायालय मे पेश करने की एवंज मे 10000 रू रिश्वत

राशि ग्रहण की है क्या। जिस पर श्री मदन लाल सहायक उपनिरीक्षक ने बताया कि हां साहब मैंने इनसे पैसे लिए है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूछा की आपने पैसे किस बात के लिए है, जिस श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक ने बताया कि साहब मेरे से गलती हो गई। मैंने इनके ट्रैक्टर को छुडवाने की एवंज मे रिश्वत राशि ली है। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री मोहब्बत अली ने स्वतः बताया कि श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक ने पुलिस थाना बनेडा पर दर्ज प्रकरण संख्या 99/2024 धारा 279,337,304 ए भा.द.स. की पत्रावली में जल्दी अनुसंधान कर प्रकरण मे जप्त शुदा ट्रैक्टर को न्यायालय से छुडवाने हेतु पत्रावली न्यायालय मे समय पर भेजने एवं प्रकरण का चालान शीघ्र न्यायालय मे पेश करने की एवंज मे दिनांक 16.08.2024 को मेरे से 15000 रूपये रिश्वत की मांग की जिसमे से 2000 रूपये उसी समय ले लिए तथा आज दिनांक 17.08.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान 3000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की तथा शेष रिश्वत राशि 10000 रूपये इनकी मांग अनुसार लेकर इनके पास स्वागत कक्ष मे आया तथा मेरे प्रकरण की पत्रावली न्यायालय मे भिजवाने के संबध मे वार्ता की उसके बाद श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक ने मुझे कहा कि पैसे लेकर आया है क्या जिस पर मैने कहा कि हां लाया हूँ, जिस पर मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक मुझे स्वागत कक्ष से बाहर ले जाकर पुलिस थाना परिसर स्थित मेस के हॉल मे ले जाकर मेरे से शेष रिश्वत राशि 10000 रूपये अपने दांहिने हाथ मे लेकर वर्दी की पहनी हुई शर्ट की उपरी दांहिनी जेब मे रख लिए उसके बाद हम दोनों पुनः स्वागत कक्ष में आ गये इसके बाद मैने आपके द्वारा बताये अनुसार मेंने निर्धारित ईशारा किया। रिश्वत राशि जो इन्हाने मुझसे लेकर अपनी वर्दी की दाहिनी जेब मे रखे जो इनकी जेब मे है। इसके पश्चात श्री रामावतार कानि 510 को पूछने पर बताया कि मैं कम्पयुटर पर कार्य कर रहा था, मेरे पास मे श्री मदनलाल सउनि बैठे हुए थे। श्री मोहब्बत अली जी स्वागत कक्ष मे आये तथा श्री मदनलाल जी एएसआई साहब से उनके प्रकरण से संबधित बातचीत करने लग गये। उसके बाद श्री मदनलाल जी एएसआई साहब व श्री मोहब्बत अली दोनो स्वागत कक्ष से बाहर चले गये तथा थोडी देर बाद वापस स्वागत कक्ष मे आ गये। मैंने रिश्वत राशि के लेन देन को नही देखा है। जिस पर कानि श्री रामावतार को स्वागत कक्ष से बाहर भेजकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके पश्चात पुलिस थाना बनेडा के स्वागत कक्ष मे रखे पानी के कैम्पर से कानि रामेश्वर लाल 250 से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी मदनलाल, सहायक उपनिरीक्षक के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हुआ। जिसे हाजरीन को दिखाने पर मटमेला रंग होना स्वीकार किया। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क RH 1 व RH 2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हुआ, जिसे हाजरीन को दिखाने पर मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क LH 1 व LH 2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी श्री मदनलाल, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बनेडा जिला शाहपुरा की तलाशी गवाह श्री प्रीतम कुमार से लिवाई गई तो गवाह श्री प्रीतम कुमार ने श्री मदनलाल, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बनेडा जिला शाहपुरा की पहनी हुई वर्दी की शर्ट की उपर की दांहिनी जेब मे से कुछ रूपये निकाल कर पेश किये। उक्त नोटो को गिनने की कहने पर दोनो गवाहान द्वारा गिनकर 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000 रूपये होना बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से उक्त नोटो के नंबरो को मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से करने के लिये कहने पर दोनो गवाह द्वारा उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से कर उक्त नोटो के नंबरो का मिलान हू ब हू होना बताया। नोटों के नम्बर निम्नानुसार है 1.500 रूपये का एक नोट 1HC 318189, 2. 500 रूपये का एक नोट 6AN 164359 3. 500 रूपये का एक नोट 8NP 632237 4. 500 रूपये का एक नोट 5DT 245539, 5. 500 रूपये का एक नोट 2TT 573560, 6. 500 रूपये का एक नोट 8MV 900452, 7. 500 रूपये का एक नोट 6BE 988206, 8. 500 रूपये का एक नोट 2FW 494826, 9. 500 रूपये का एक नोट 8WM 033564, 10. 500 रूपये का एक नोट 5AE 735588, 11. 500 रूपये का एक नोट 3VW 960172, 12. 500 रूपये का एक नोट 8HP 410454, 13. 500 रूपये का एक नोट 7BF 997591, 14. 500 रूपये का एक नोट 0SP 173231, 15. 500 रूपये का एक नोट 4GE 399532, 16. 500 रूपये का एक नोट 9QV 714459, 17. 500 रूपये का एक नोट 1EG 002473, 18. 500 रूपये का एक नोट 7DA 792544, 19. 500 रूपये का एक नोट 8MW 648517, 20. 500 रूपये का एक नोट 7FT 800476, उक्त सभी नोटो को एक कागज के लिफाफे मे रखकर एक सफेद कपडे की थैली मे सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क N अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। तत्पश्चात पुलिस थाना बनेडा पर पदस्थापित रतनलाल कानि 1933 से बैरक मे से एक अन्य शर्ट मंगवायी गई। आरोपी श्री मदनलाल, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बनेडा जिला शाहपुरा के शरीर पहने हुई वर्दी की शर्ट को ससम्मान उतरवाकर मंगवायी गई शर्ट पहनाई गई। इसके पश्चात पुलिस थाना बनेडा के स्वागत कक्ष मे रखे पानी के कैम्पर से कानि

रामेश्वर लाल 250 से साफ पानी मंगवाया गया तथा एक प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मदनलाल, सहायक उपनिरीक्षक के शरीर पर पहने हुई वर्दी की शर्ट की दांहिने जेब को उलटवा कर उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास मे डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क S 1 व S 2 अंकित कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी श्री मदनलाल के वर्दी का शर्ट बरंग खाकी की जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई कि जेब को सूखवाकर जेब पर संबधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त वर्दी का शर्ट बरंग खाकी को सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर मार्क S अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक को परिवादी श्री मोहब्बत अली से आज दिनांक 17.08.2024 को दौराने सत्यापन प्राप्त किये गये, 3000 रूपये के बारे मे पूछा तो आरोपी श्री मदन लाल ने कुछ नही बताया जिस पर गवाह श्री प्रीतम कुमार से आरोपी की जमा तलाशी लिवायी गई तो आरोपी श्री मदन लाल सहायक उपनिरीक्षक की पहनी हुई वर्दी की पेंट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखा एक बरंग काला पर्स निकालकर प्रस्तुत किया पर्स को देखा गया तो उसमे विभागीय परिचय पत्र व 500-500 के 6 नोट, एक 50 रूपये का नोट, एक 20 रूपये का नोट, एक 10 रूपये का नोट कुल 3080 रूपये प्रस्तुत किये, जिसके बारे मे हाजरीन के समक्ष आरोपी श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक से पूछा गया तो उसने अपनी निजी राशि होना बताया। जिस पर पास ही खडे परिवादी ने आरोपी की उक्त बात का खंडन करते हुए बताया कि उक्त राशि मे से 500-500 के 6 नोट कुल 3000 रूपये वही नोट जो मैने आज दिन मे रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान श्री मदनलाल एएसआई को दिये थे। जिस पर उक्त राशि संदिग्ध होने की वजह से उसी पर्स मे कुल 3080 रूपये मय विभागीय परिचय पत्र के उसी पर्स मे रखवाकर पर्स मय राशि वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी के दौरान एक मोबाईल विवो कम्पनी का जिसका रंग गंहरा नीला विवो वाई 56 जिसके आईएमईआई नम्बर 865279066827233 एवं सिम नम्बर जिओ कम्पनी की है। उक्त मोबाईल की टेम्प कार्यवाही में आवश्यक ता होने से उक्त मोबाईल बतौर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। श्री मदनलाल, सहायक उपनिरीक्षक से परिवादी से संबधित पत्रावली के बारे मे पूछा तो श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक ने बताया कि परिवादी के पुत्र परवेज खान के विरूद्ध पुलिस थाना बनेडा पर प्रकरण संख्या 99/2024 धारा 279,337,304 ए भां.द.स. मे दर्ज है। उक्त प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। उक्त प्रकरण मे जप्त शुदा ट्रैक्टर की जमानत हेतु पत्रावली माननीय जे.एम. कोर्ट भीलवाडा मे भिजवायी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना बनेडा को तलब करने पर थानाधिकारी थाने मे मौजुद होकर स्वागत कक्ष मे उपस्थित आये। जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उनका परिचय पूछा तो अपना नाम श्री हीरालाल उपनिरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना बनेडा होना बताया, जिसे प्रकरण संख्या 99/2024 धारा 279,337,304 ए भां.द.स. की पत्रावली तुरन्त न्यायालय मंगवाकर प्रमाणित फोटो प्रतियां उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। समय 05.30 पी. एम. श्री हीरालाल, थानाधिकारी, पुलिस थाना बनेडा ने प्रकरण संख्या 99/2024 की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन किया गया तो उक्त प्रकरण का अनुसंधान आरोपी श्री मदनलाल के जिम्मे होकर उक्त पत्रावली कुल पेज 01 से 63 होकर पत्रावली के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी ली गई। श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक के जिम्मे की अनुसंधान पत्रावलीया थानाधिकारी को सम्भलायी गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री मोहब्बत अली द्वारा पूर्व मे रिश्वत राशि लेन देन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाह एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री मोहब्बत अली व आरोपी श्री मदनलाल, सहायक उपनिरीक्षक के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैनड्राईव अकब से तैयार करवायी जायेगी। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री मदनलाल पुत्र श्री लादुदास वैष्णव उम्र 52 साल निवासी पण्डेर थाना पण्डेर जिला-शाहपुरा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना-बनेडा जिला-शाहपुरा द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर परिवदी श्री मोहब्बत अली के पुत्र श्री परवेज के विरूद्ध पुलिस थाना बनेडा दर्ज प्रकरण संख्या 99/2024 धारा 279,337,304 ए भा.द.स. की पत्रावली में जल्दी अनुसंधान कर प्रकरण मे जप्त शुदा ट्रैक्टर को न्यायालय से छुडवाने हेतु पत्रावली न्यायालय मे समय पर भेजने एवं प्रकरण का चालान शीघ्र न्यायालय मे पेश करने की एवंज मे परिवादी से दिनांक 16.08.2024 को 15000 रूपये रिश्वत की मांग की, तथा मांग अनुसार 2000 रूपये उसी दिन परिवादी से ग्रहण करना तथा आज दिनांक 17.08.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान 3000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना तथा अपनी मांग के अनुसरण मे शेष रिश्वत राशि 10000 रूपये अपने दांहिने हाथ मे लेकर अपनी शरीर पर पहनी हुई वर्दी की शर्ट की उपरी दांहिनी जेब मे रखना, जहां से रिश्वत राशि 10000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) का अपराध का प्रमाणित पाया जाता हैं। फर्द तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.15

पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री मदनलाल पुत्र श्री लादुदास वैष्णव उम्र 52 साल निवासी पण्डेर थाना पण्डेर जिला-शाहपुरा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना-बनेडा जिला-शाहपुरा को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 07.20 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही से पुलिस थाना बनेडा मे स्थित स्वागत कक्ष एवं मैस हॉल जहां रिश्वत राशि लेन देन हुआ, उस स्थल का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। घटनास्थल की श्री शिवराज सिंह कानिस्टेबल से बीएनएसएस के प्रावधानो के अनुसार विडियोगाफ्री करवायी गई। समय 08.00 पी.एम पर आरोपी श्री मदनलाल सउनि पुलिस थाना बनेडा को उसके निवास स्थान के बारे में पुछा तो थाना परिसर स्थित सरकारी बैरक में निवास करना बताया तथा स्वयं का मकान पण्डेर स्थित कुम्हार मोहल्ले में होना बताया उक्त पर जरीये दूरभाष श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को हालात निवेदन किये गये। श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर से वार्ता के अनुसार आय से अधिक सम्पति का मामला प्रथम दृष्टया प्रतित नही होने के कारण निर्देशानुसार पालना की गई। मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान द्वारा आरोपी के सरकारी बैरक को देखा गया तो कोई जप्ती योग्य आलामात नही होना पाया जाने पर उच्च अधिकारीयो को अवगत कराया। समय 09.10 पी.एम से 09.30 पी.एम. तक पर रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 17.08.2024 की जो ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड मे दर्ज है। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को दोनो गवाहान परिवादी के समक्ष थानाधिकारी पुलिस थाना बनेडा श्री हीरालाल को चलाकर सुनाई गई तो श्री हीरालाल थानाधिकारी ने उक्त वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि लेन देन की वार्ता मे एक वार्ता मे एक वार्ता श्री मदनलाल सउनि पुलिस थाना बनेडा की होना बताया। फर्द पहचान आवाज पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री शिवराज सिंह कानिस्टेबल से बीएनएसएस के प्रावधानो के अनुसार विडियोगाफ्री करवायी गई। समय 10.21 पी.एम. पर ट्रैप कार्यवाही विरूद्ध श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना बनेडा से संबंधित कार्यवाही की रपट पुलिस थाना बनेडा के रोजनामचाआम मे दर्ज की गई। रोजनामचाआम की नकल रपट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.50 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह, मय परिवादी मय आरोपी मदनलाल स.उ.नि. मय जाप्ता मय जप्तशुदा आर्टीकल व रिश्वत राशि मय सामग्री मय प्राईवेट व सरकारी वाहन के पुलिस थाना बनेडा से एसीबी कार्यालय भीलवाडा द्वितीय के लिए रवाना हुआ। समय 11.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह, मय परिवादी मय आरोपी श्री मदनलाल स.उ.नि. मय जाप्ता मय जप्तशुदा आर्टीकल व रिश्वत राशि मय सामग्री मय प्राईवेट व सरकारी वाहन के उपस्थित कार्यालय आया। दिनांक 18.08.2024 समय 12.05 ए.एम. पर श्री राजेश कुमार उपनिरीक्षक, श्री प्रहलाद कुमार पारीक स.उ.नि., श्री गोपाल जोशी सउ.नि. मय वाहन सरकारी बोलेरो को पी.एम.ओ. महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा व थानाधिकारी पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी श्री मदनलाल सउनि का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परिक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना सुभाषनगर में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। समय 12.10 ए.एम. से 02.10 ए.एम. तक कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.08.2024 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री मधुसुदन स.उ.नि. से निकलवाया जाकर रिश्वत राशि मॉग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.08.2024 बरूबरू परिवादी श्री मोहब्बत अली व आरोपी श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री प्रेमराज कानि 225 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के तीन पेनड्राईव तैयार करवाये गये। दो पेनड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क aA 1 A 2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर मार्क A 3 अंकित किया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मेमोरी कार्ड की श्री प्रेमराज कानि 225 की मदद से हैसवैल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.15 ए.एम. पर श्री राजेश कुमार, उपनिरीक्षक पुलिस, श्री प्रहलाद कुमार पारीक स.उ.नि., श्री गोपाल जोशी स.उ.नि. मय वाहन सरकारी बोलेरो के कार्यालय से रवाना हो पी.एम. ओ. महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा पहॅुच आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवा रिपोर्ट प्राप्त कर रवाना हो पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा पहॅुच, आरोपी श्री मदनलाल स.उ.नि. को सुरक्षार्थ जमा करवा रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। समय 02.20 ए.एम. से 03.30 ए.एम. तक रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 17.08.2024 बरूबरू परिवादी श्री मोहब्बत अली व आरोपी श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व षब्द सुन श्री प्रेमराज कानि 225 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के तीन पेनड्राईव तैयार करवाये गये। दो पेनड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क B 1 B 2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर मार्क B 3 अंकित किया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मेमोरी कार्ड की श्री प्रेमराज कानि 225 की मदद से हैसवैल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। समय 03.40 ए.

[redacted]

एम. तक मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.08.2024 व लेन-देन वार्ता दिनांक 17.08.2024 मे परिवादी श्री मोहब्बत अली व आरोपी श्री मदनलाल सहायक उपनिरीक्षक के मध्य हुई वार्ताओ के मूल मेमोरी कार्डस SANDISK 32 जी.बी. कम्पनी के नंग 2 को उसी मेमोरी कार्ड के कागज के अलग-अलग कंवर में रख कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क M अंकित कर सिल चिटकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.00 ए.एम पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 10000 रूपये मार्क N सिल्ड चिट शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH 1, RH 2, LH 1 LH 2 S 1, S 2 आरोपी श्री मदनलाल की पहनी हुई वर्दी की शर्ट मार्क S सिल्डचिट शुदा, 04 पैन ड्राईव सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में सिल्डचिट मार्क A 1, A-2, B-1, B-2, 02 पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर चिट बंद पैन ड्राईव मार्क A-3, B-3 तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा मेमोरी कार्डस मार्क M इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री प्रहलाद कुमार पारीक स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 12.30 पी.एम. से 03.05 पी.एम तक बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार टेªप कार्यवाही के दौरान मौके पर श्री शिवराज सिंह कानि से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्री शिवराज कानि को मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। श्री शिवराज सिंह कानि ने मौके पर की गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया जिसको श्री प्रेमराज कानि की मदद से सरकारी लेपटोप से कनैक्ट कर उक्त विडियो के तीन पेनड्राईव तैयार करवाये गये। दो पेनड्राईव को कपड़े की पृथक पृथक थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क C-1, C-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर मार्क C-3 अंकित किया गया। विडियोग्राफी के मूल मेमोरी कार्ड की श्री प्रेमराज की मदद से हैसवैल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। मूल मेमोरी कार्ड को कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क M-1 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द पेशकशी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.10 पी.एम पर जब्तशुदा 02 पैन ड्राईव सफेद पृथक पृथक कपडे की थैली में सिल्डचिट मार्क C-1, C-2 एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखकर चिट बंद पैन ड्राईव मार्क C-3 तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा मेमोरी कार्डस मार्क M-1 इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री प्रहलाद कुमार पारीक स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये समय 03.15 पी.एम. से 03.30 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमुना व नाषानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 03.40 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहब्बत अली व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रीतम कुमार व श्री मधुसुदन माथुर को हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 04.00 पी.एम पर श्री प्रेमराज कानि ने फर्द ट्रांसक्प्टि लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्प्टि बनाने एवं उक्त मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ताओ का पैनड्राईव तैयार करने तथा मौके पर करवायी गई, बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके पर करवायी गई, मेमोरी कार्ड से पैनड्राईव तैयार करने एवं मांग सत्यापन वार्ता, लेन देन वार्ता, विडियोगाफ्री मेमोरी कार्ड की हैषवैल्यू के संबध मे धारा 63(4)ख के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गय समय 04.10 पी.एम पर श्री शिवराज सिंह कानि ने बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोगाफ्री की गई थी, जिसने विडियोगाफ्री का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया के संबध मे धारा 63(4)ख साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 04.20 पी.एम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन देन वार्ता की ट्रांसक्प्टि, मेमोरी कार्ड, पैनड्राईव एवं मौके की विडियोगाफ्री के मेमोरी कार्ड, पैनड्राईव के संबध मे धारा 63(4)क का साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री मदनलाल पुत्र श्री लादुदास वैष्णव उम्र 52 साल निवासी पण्डेर थाना पण्डेर जिला-शाहपुरा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना-बनेडा जिला-शाहपुरा द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर परिवदी श्री मोहब्बत अली के पुत्र श्री परवेज के विरूद्ध पुलिस थाना बनेडा दर्ज प्रकरण संख्या 99/2024 धारा 279,337,304 ए भा.द. स. की पत्रावली में जल्दी अनुसंधान कर प्रकरण मे जप्त शुदा ट्रैक्टर को न्यायालय से छुडवाने हेतु पत्रावली न्यायालय मे समय पर भेजने एवं प्रकरण का चालान शीघ्र न्यायालय मे पेश करने की एवंज मे परिवादी से दिनांक 16.08.2024 को 15000 रूपये रिश्वत की मांग की, तथा मांग अनुसार 2000 रूपये उसी दिन परिवादी से ग्रहण करना तथा आज दिनांक 17.08.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान 3000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना तथा अपनी मांग के अनुसरण मे शेष रिश्वत राशि 10000 रूपये अपने दांहिने हाथ मे लेकर अपनी शरीर पर पहनी हुई वर्दी की शर्ट की उपरी दांहिनी जेब मे रखना, जहां से रिश्वत राशि 10000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 अधिनियम के संख्या 16 द्वारा संशोधित) का अपराध का प्रमाणित पाया जाता हैं। अतः श्री मदनलाल पुत्र श्री लादुदास वैष्णव उम्र 52 साल निवासी पण्डेर थाना पण्डेर जिला-शाहपुरा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना-बनेडा जिला-शाहपुरा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं। भवदीय, (ब्रजराज सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार

[redacted]

निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय। ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ब्रजराज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मदनलाल पुत्र श्री लादुदास वैष्णव निवासी पण्डेर थाना पण्डेर जिला-शाहपुरा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना-बनेडा जिला-शाहपुरा/भीलवाड़ा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी झाबरमल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 283 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज., जयपुर क्रमांक 921-24 दिनांक 19.08.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा। 2 पुलिस अधीक्षक शाहपुरा/भीलवाड़ा। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेंर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भीलवाड़ा द्वितीय। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JHABAR MAL YADAV **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/08/2024 10:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

[redacted]

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/07/1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)